

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 08 / 2025 (GCMS 2025/54)

(आरटीआई संख्या 212131783445930)

श्री मुकन्द सिंह गांव 5 के.एस.डी., पोस्ट ऑफिस सुखचैनपुरा तहसील
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर : 94619-41862

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर (तत्कालीन जिला कलक्टर, अनूपगढ़)



24.02.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने तत्कालीन जिला कलक्टर, अनूपगढ़ के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.11.2024 से दस बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने अति. जिला कलक्टर, पूर्व कलक्टर, अनूपगढ़ वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.11.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न दस बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. जिला कलक्टर कार्यालय अनूपगढ़ में दिनांक 30.05.2024 के प्रार्थना पत्र की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
2. शिकायतकर्ता के ब्यानों की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
3. अप्रार्थी का स्पष्टीकरणों की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
4. शिकायत एवं प्रार्थना पत्र का निर्णय एवं जांच करने वाले लोक सेवक का नाम व पद व कार्यालय मय सील सहित दस्तावेज चाहा है।

Mandh


जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर



5. प्रार्थी को ब्यानों व सुनवाई के लिए दिये गये नोटिस की फोटो कॉपी चाही हैं
6. शिकायत की जांच रिपोर्ट मय सील फोटो कॉपी प्रमाणित चाही हैं
7. शिकायत की प्रारम्भिक जांच व लोक सेवक आचरण की प्रार्थना जांच की नियमावली की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
8. शिकायत की सम्पूर्ण पत्रावली चाही है।
9. आपीओ क्रमांक 94 G 944797 भरकर आपीओ भुगतान कर लेवें, प्रार्थी पूर्ण सहमती देता है। 10/- शुल्क के 40 /- रु. फोटो कॉपियों के, कम होने पर सूचित करें।
10. दिनांक 30.05.2024 की प्रार्थना पत्र की फोटो कॉपी संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक RTI/2026/59 दिनांक 21.02.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:


उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि उक्त विषयक प्रकरण में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक :-न्याय/24/279 दिनांक 14.06.2024 द्वारा प्रकरण को कार्यालय पंचायत समिति रायसिंहनगर को प्रेषित किया गया है। प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दिनांक 29.11.2024 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अनूपगढ को प्रस्तुत कर सूचना चाही है। उक्त वर्णित प्रार्थना अनुसार प्रकरण पंचायत समिति, रायसिंहनगर से संबंधित है। कार्यालय पंचायत समिति रायसिंहनगर के राजकाज रैफरेंस नं. 9085321 दिनांक 19.07.2024 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया है। इस कार्यालय स्तर से प्रार्थना पत्र दिनांक 30.05.2024 तथा सूचना के अधिकार आवेदन पत्र दिनांक 29.11.2024 के क्रम में कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं। अतः प्रतिवेदन मय संलग्नक प्रेषित कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी खारिज फरमाने का श्रम करें।


जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, जो सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपीलार्थी का मूल प्रार्थना पत्र पंचायत समिति, रायसिंहनगर से सम्बन्धित होने के कारण, उन्हें स्थानान्तरित किया है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत पंचायत समिति, रायसिंहनगर द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्ता सुनवाई हेतु अधिकृत नहीं है। इसलिए अपीलार्थी वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध में पंचायत समिति, रायसिंहनगर के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर एवं पंचायत समिति, रायसिंहनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तुरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. मन्जु)
जिला कलेक्टर
रायसिंहनगर